न्यायालय मध्यस्थ अधिकारी (जिला कलक्टर), धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस. मध्यस्थ अधिकारी (जिला कलक्टर),

विविध प्रार्थना–पत्र (मुकदमा नम्बर) :– 58/2017 (RCMS No.: 2017/00184)

उनवानी प्रकरण :–

1. सुधीर शर्मा पुत्र रमेश चन्द्र शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम पुरैनी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
2. सतीश शर्मा पुत्र रमेश चन्द्र शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम पुरैनी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
3. नत्थीलाल पुत्र करन सिहं जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम पुरैनी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर————————————————————प्रार्थीगण।

बनाम्

1. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (राजमार्ग संख्या 123 ऊँचा का नगला से धौलपुर) बस स्टैण्ड के सामने दौसा राजस्थान ।
2. सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) पदेन उपखण्डाधिकारी सैपऊ जिला धौलपुर ।
3. सुन्दरलाल दत्तक पुत्र जंगजीत प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पुरैनी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर ———————————————— अप्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5),राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 बावत मुआवजा राशि की कीमत तय कर दिलाने बावत ।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से :– श्री अशोक दिवाकर अभिभाषक
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से :– श्री विजय मित्तल अभिभाषक
3. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से:– श्री गोपाल नारायन शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 09.07.2018

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (5) के तहत अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 02.05.2016 के विरूद्ध पेश किया है जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण आराजी खसरा नमबर 945 रकबा 1 विस्वा वाके ग्राम करीमपुर तहसील सैपऊ प्रार्थी संख्या 1 व 2, 1/3 भाग व प्रार्थी संख्या 3, 1/3 भाग के अभिलिखित खातेदार काश्तकार है और मौके पर काबिज होकर अपने उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है। प्रार्थीगण का उक्त खसरा नम्बर 945 जो वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 पर स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण की दुकान बनी है। जिसमें दीगर व्यक्ति किराये पर आवाद है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 ऊँचा का नगला

(नन्नूमल पहाड़िया)
मध्यस्थ अधिकारी
(जिला कलक्टर) धौलपुर

से धौलपुर के लिये जो भूमि अवाप्ति की जानी है, जिसमें उक्त खसरा नम्बर 945 में से 0.0038 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की जानी है। जिसके बावत दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 29.11.2015 को अधिसूचना प्रकाशित हुई। जैसे ही प्रार्थीगण को भूमि अवाप्ति की जानकारी हुई प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्डाधिकारी) सैपऊ को इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की अवाप्त की जा रही भूमि का मुआवजा उनके हिस्से के अनुसार अदा किया जावे। इस पर अप्रार्थी संख्या 2 ने तहसीलदार सैपऊ से जॉच कराई जिसमें भी प्रार्थीगण को 1/3, भाग का खातेदार काश्तकार व अप्रार्थी संख्या 3 को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज माना है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में गलत रूप से अनुचित लाभ प्राप्त करके यह कथन किया कि उक्त खसरा नम्बर 945 में बैजनाथ पुत्र रामसहाय जाति वैश्य, बच्चू पुत्र थान सिह, महेन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह जाति जाट की दुकानात बनी है जिनका आगे का हिस्सा सडक सीमा में आता है। पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीगण की बैक पर रिपोर्ट बनाई है जिस पर न तो तहसीलदार के हस्ताक्षर है एंव ना ही इस बावत कोई सिफारिश की है। अप्रार्थी संख्या 2 ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट को सही मानते हुए प्रार्थीगण की आपत्तियो को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये खसरा नम्बर 874, 855 व 946 की मुआवजा राशि प्राप्त कर सकते है और खसरा नम्बर 945 पर दीगर व्यक्तियों की दुकान का निर्माण होने के कारण प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय से स्वामित्व का निर्धारिण कराये जाने के बाद ही मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी होने का आदेश पारित किया है जो गलत व विधि विरूद्ध है। तहसीलदार ने आराजी खसरा नम्बर 945 रकवा 1 विस्वा किस्म बंजड को प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि माना है जिसमें प्रार्थीगण दुकानात बनाकर दीगर व्यक्तियों को किराये पर दी है। जिसमें से 0.0038 हैक्टेयर भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 के सडक निर्माण में अवाप्त किया गया है जिसमें प्रार्थीगण स्वामी व आधिपत्यधारी है। जिसके बावत अप्रार्थी संख्या 2 ने अपना निर्णय दिनांक 30.03.2016 को पारित किया है वह विधि विरूद्ध व मनमाना है। अवाप्त शुदा भूमि में प्रार्थीगण की वाणिज्यिक गतिविधि की दुकानात संचालित है जिसका मुआवजा वाणिज्यिक दर से किया जाना आवश्यक था जिसे आवासीय दर से तय करने में काूननी भूल की है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) पदेन उपखण्डाधिकारी सैपऊ द्वारा प्रकरण 29/2016 में पारित निर्णय दिनांक 30.03.2016 को उक्त खसरा नम्बर के बावत निरस्त किया जावे एवं प्रार्थीगण का उनके हिस्से अनुसार विधिवत रूप से जो मुआवजे बावत अवार्ड बनाया गया है उसे संशोधित किया जाकर वाणिज्यिक दर 0.0038 हैक्टेयर का संशोधित अवार्ड प्रार्थीगण के नाम पारित किया जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उजदारी पेश करें।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री विजय मित्तल अभिभाषक ने अपना वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से श्री सत्यप्रकाश कौशिक अभिभाषक ने अपना वकालतनामा पेश किया ।

(नन्नूमल पहाड़िया)
मध्यस्थ अधिकारी
(जिला कलक्टर) धौलपुर

न्यायालय मध्यस्थ अधिकारी (जिला कलक्टर) धौलपुर (राज.)

दिनांक 26.06.2018 को अप्रार्थी संख्या 3 को कई बार आवाज दिलवाई गई। अप्रार्थी संख्या 3 न तो स्वंय उपस्थित हुए और ना ही उनके अभिभाषक उपस्थित हुए अतः अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई ।

अप्रार्थी संख्या 1 ने नोटिस का जबाव प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की धारा 3 (अ) की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 8.9.2014 जिसका प्रकाशन राजस्थान के दो प्रमुख समाचार पत्रों हिन्दुस्तान एक्सप्रेस में दिनांक 12.11.2014 व दैनिक भास्कर में दिनांक 11.11.2014 को किया के द्वारा भूमि का अर्जन किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 3 सी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन के विरूद्ध उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियॉ सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है तथा सक्षम अधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। उक्त नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा अधिनियम की धारा 3 सी के अन्तर्गत आपत्तियॉ प्रस्तुत की गई। सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा उक्त आपत्तियों को सुनने के पश्चात् विधि के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया गया। अधिग्रहित भूमि जिसमें कि भूमि खसरा नम्बर 945 की 0.0038 हैक्टेयर बंजर प्रथम नत्थीलाल पुत्र करन सिहं हिस्सा 1/3 सुन्दर सिहं दत्तक पुत्र जंगलीप्रसाद हिस्सा 1/3 सुधीर कुमार सतीश कुमार पिसरान रमेशचन्द्र हिस्सा 1/3 जाति ब्राहमण निवासी पुरैनी है। जिसका मुआवजा खातेदार/हितबद्ध व्यक्ति को भूमि की किस्म की डी. एल. सी. दर के आधार पर कर दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एंव भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनःव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की मौके की स्थिति भूमि का प्रकार, भूमि की किस्म सडक सीमा के पास या दूर उप पंजीयक से प्राप्त डी एल सी दर के आधार पर की गई है। अवाप्तशुदा भूमि के सर्वे के दौरान पाये गये निर्माण आदि के मुआवजे का निर्धारण राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट के आधार पर किया गया। धारा 3(एच)(1) के तहत अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी को जमा करवा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की निर्धारित डी एल सी दर के मुताविक मुआवजा राशि निर्धारित की गई है। सक्षम अधिकारी द्वारा सा0 नि0 वि0 राजस्व विभाग एवं एन.एच.ए.आई. के प्रतिनिधियों के संयुक्त सर्वे उपरान्त अवाप्तशुदा भूमि पर अवस्थित संरचनाओं, पेड पौधे कुँए एवं बोरिंग की मूल्यांकन रिपोर्ट सम्बन्धित से प्राप्त की। उप पंजीयक से धारा 3 क की अधिसूचना के प्रकाशन के समय दिनांक 11.11.2014 को लागू सम्बन्धित ग्रामों की सिंचित/असिंचत सडक/आवादी के पास/दूर आवासीय वाणिज्यिक दरे प्राप्त कर मुआवजा निर्धारण किया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिनियम 2013 के अन्तर्गत मुआवजा निर्धारण किया गया है। राजमार्गो पर स्थित कृषि भूमि के अकृषि रूपान्तरण हेतु इण्डियन रोड कांग्रेस के दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से लागू होते हैं। इण्डियन रोड कांग्रेस के दिशा निर्देश के अनुसार आवासीय व पेट्रोल पम्प हेतु भूमि रूपान्तरण सडक के मध्य से 40 मीटर

(नन्नूमल पहाड़िया)
मध्यस्थ अधिकारी
(जिला कलक्टर) धौलपुर

छोड़कर व व्यावसायिक प्रयोजन हेतु भू रूपान्तरण सडक के मध्य से 75 मीटर छोडकर ही किया जा सकता है। साथ ही केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा उक्त सम्बन्ध में समय समय पर दिशा निर्देश जारी किये जाते है जो कि भू–सम्परिवर्तन आदेशों पर स्पष्टतया लागू होते है यदि भू–सम्परिवर्तन आदेश उक्त दिशा निर्देश व राज्य सरकार के आदेशो की अवज्ञा करते हुए जारी किये जाते हैं तो उक्त सम्परिवर्तन आदेश स्वमेव ही निरस्त व शून्य हो जाते है। प्रार्थीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। जो अवार्ड पारित किया गया था वह सम्पूर्ण रिकोर्ड एवं तथ्यों के आधार पर पूर्णतया सही पारित किया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 से टिप्पणी प्राप्त हुई जिसके तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा धारा 3 डी एनएचएआई एक्ट के तहत आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। प्रार्थीगण के प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार सैपऊ से रिकोर्ड एवं मौके की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सैपऊ ने अपनी रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 5 पर आराजी खसरा नम्बर 945 रकवा 1 विस्वा एवं 946 रकवा 19 विस्वा बंजड के बावत इस आशय की रिर्पोट प्रस्तुत की कि उक्त भूमि नत्थीलाल पुत्र श्री करन सिंह हिस्सा 1/3 भाग सुन्दरलाल दत्तक पुत्र श्री जंगजीत प्रसाद हिस्सा 1/3 सुधीर कुमार सतीश कुमार पिसरान रमेश चन्द्र हिस्सा 1/3 जाति ब्राम्हण निवासी पुरैनी खातेदार दर्ज है। खसरा नम्बर 945 में बैजनाथ पुत्र रामसहाय जाति वैश्य, बच्चू सिंह पुत्र थान सिंह व महेन्द्र सिहं पुत्र रतन सिहं जाति जाट की दुकाने बनी हुई है जिनमें से बैजनाथ पुत्र रामसहाय की दुकानों का आगे का हिस्सा सडक सीमा में आता है। आराजी खसरा नम्बर 945 पर दीगर व्यक्तियों की दुकाने बनी होने के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा स्वामित्व निर्धारण के पश्चात् ही मुआवजा राशि का भुगतान किया जावेगा। प्रार्थीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर 945 के बावत माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश धौलपुर के यहॉ बाद प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 30.03.2016 प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खाता सख्या 48 सम्वत् 2070 से 2073 वाके ग्राम पुरैनी, प्रमाणित प्रतिलिपि अवार्ड ग्राम करीमपुर खसरा नम्बर 945 फोटो प्रति आपत्ति प्रार्थना पत्र द्वारा सुधीर शर्मा, फोटो प्रति जॉच रिर्पोट पटवारी हल्का खसरा नम्बर 875 व 945 पेश किये।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाव के समर्थन में फोटो प्रति अधिसूचना 3 ए दिनांक 8.9.2014 व फोटो प्रति अधिसूचना 3 डी दिनांक 19.8.15 पेश की ।

अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी टिप्पणी के साथ पटवारी हल्का द्वारा की गई जॉच रिपोर्ट की फोटो प्रति पेश की।

दोनो पक्षो के विद्वान अभिभाषकगणो की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 945 रकवा 1 विस्वा वाके ग्राम करीमपुर तहसील सैपऊ के प्रार्थी संख्या 1 व 2, 1/3 भाग व प्रार्थी संख्या 3, 1/3 भाग के अभिलिखित खातेदार काश्तकार है और मौके पर काबिज होकर अपने उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है।

(नन्नूमल पहाड़िया)
मध्यस्थ अधिकारी
(जिला कलक्टर) धौलपुर

न्यायालय मध्यस्थ अधिकारी (जिला कलक्टर) धौलपुर (राज.)

प्रार्थीगण का उक्त खसरा नम्बर 945 जो वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 पर स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण की दुकान बनी है। जिसमें दीगर व्यक्ति किराये पर आवाद है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 ऊँचा का नगला से धौलपुर के लिये जो भूमि अवाप्त की गई है, जिसमें खसरा नम्बर 945 में से 0.0038 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई है। प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्डाधिकारी) सैपऊ को इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की अवाप्त की जा रही भूमि का मुआवजा उनके हिस्से के अनुसार अदा किया जावे। इस पर अप्रार्थी संख्या 2 ने तहसीलदार सैपऊ से जॉच कराई जिसमें भी प्रार्थीगण को 1/3, भाग का खातेदार काश्तकार व अप्रार्थी संख्या 3 को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज माना है। अप्रार्थी संख्या 2 ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट को सही मानते हुए प्रार्थीगण की आपत्तियो को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुय खसरा नम्बर 874, 855 व 946 की मुआवजा राशि प्राप्त कर सकते है और खसरा नम्बर 945 पर दीगर व्यक्तियो की दुकान का निर्माण होने के कारण प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय से स्वामित्व का निर्धारण कराये जाने के बाद ही मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी होने का आदेश पारित किया है जो गलत व विधि विरूद्ध है। तहसीलदार ने आराजी खसरा नम्बर 945 रकवा 1 विस्वा किस्म बंजड को प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि माना है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपना निर्णय दिनांक 30.03.2016 को पारित किया है वह विधि विरूद्ध व मनमाना है। अवाप्त शुदा भूमि में प्रार्थीगण की वाणिज्यिक गतिविधि की दुकानात संचालित है जिसका मुआवजा वाणिज्यिक दर से किया जाना आवश्यक था जिसे आवासीय दर से तय करने में कानूनी भूल की है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) पदेन उपखण्डाधिकारी सैपऊ द्वारा प्रकरण 29/2016 में पारित निर्णय दिनांक 30.03.2016 को उक्त खसरा नम्बर के बावत निरस्त किया जावे एंव प्रार्थीगण का उनके हिस्से अनुसार विधिवत रूप से जो मुआवजे बावत अवार्ड बनाया गया है उसे संशोधित किया जाकर वाणिज्यिक दर 0.0038 हैक्टेयर का संशोधित अवार्ड प्रार्थीगण के नाम पारित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्धान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान जबाव में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 सी के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 3ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन के विरूद्ध उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 3ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियॉ सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है प्रार्थीगण द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष आपत्तियॉ प्रस्तुत की गई। सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा उक्त आपत्तियों को सुनने के पश्चात् विधि के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया गया। अधिग्रहित भूमि जिसमे कि भूमि खसरा नम्बर 945 की 0.0038 हैक्टेयर बंजर प्रथम नत्थीलाल पुत्र करन सिहं हिस्सा 1/3 सुन्दर सिहं वत्तक पुत्र जंगलीप्रसाद हिस्सा 1/3 सुधीर कुमार सतीश कुमार पिसरान रमेशचन्द्र हिस्सा 1/3 जाति ब्राहमण निवासी पुरैनी है। जिसका मुआवजा खातेदार/हितबद्ध व्यक्ति को भूमि की किस्म की डी. एल. सी. दर के आधार पर कर दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी में दिये गये निर्देशो की पालना में एवं भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनःव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की मौके की स्थिति भूमि का प्रकार भूमि की

(नन्नूमल पहाड़िया)
मध्यस्थ अधिकारी
(जिला कलक्टर) धौलपुर

न्यायालय मध्यस्थ अधिकारी (जिला कलक्टर) धौलपुर

किस्म सडक सीमा के पास या दूर उप पंजीयक से प्राप्त डी एल सी दर से आधर पर की गई है। अवाप्तशुदा भूमि के सर्वे के दौरान पाये गये निर्माण आदि के मुआवजे का निर्धारण राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट के आधार पर किया गया। उप पंजीयक से धारा 3 क की अधिसूचना के प्रकाशन के समय दिनांक 11.11.2014 को लागू सम्बन्धित ग्रामों की सिंचित/असिंचत सडक/आवादी के पास/ दूर आवासीय/वाणिज्यिक दरे प्राप्त कर मुआवजा निर्धारण किया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिनियम 2013 के अन्तर्गत मुआवजा निर्धारण किया गया है। प्रार्थीगण इस न्यायालय में अपने स्वामित्व का निर्धारण कराने के लिए आये है न कि धारा 3 (जी)(5) के तहत आये है। स्वामित्व का निर्धारण करने के लिए मध्यस्थ अधिकारी (आर्बीट्रेटर) सक्षम नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने के कारण खारिज योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान टिप्पणी में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा धारा 3 डी एनएचएआई एक्ट के तहत आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। प्रार्थीगण के प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार सैपऊ से रिकोर्ड एवं मौके की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सैपऊ ने अपनी रिपोर्ट के बिन्दू संख्या 5 पर आराजी खसरा नम्बर 945 रकवा 1 विस्वा एवं 946 रकवा 19 विस्वा बंजड के बावत रिर्पोट प्रस्तुत की कि उक्त भूमि नत्थीलाल पुत्र श्री करन सिहं हिस्सा 1/3 भाग सुन्दरलाल दत्तक पुत्र श्री जंगजीत प्रसाद हिस्सा 1/3 सुधीर कुमार सतीश कुमार पिसरान रमेश चन्द्र हिस्सा 1/3 जाति ब्राहमण निवासी पुरैनी खातेदार दर्ज है। खसरा नम्बर 945 में बैजनाथ पुत्र रामसहाय जाति वैश्य, बच्चू सिहं पुत्र थान सिंह व महेन्द्र सिहं पुत्र रतन सिहं जाति जाट की दुकाने बनी हुई है जिनमें से बैजनाथ पुत्र रामसहाय की दुकानों का आगे का हिस्सा सडक सीमा में आता है। आराजी खसरा नम्बर 945 पर दीगर व्यक्तियो की दुकाने बनी होने के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा स्वामित्व निर्धारण के पश्चात् ही मुआवजा राशि का भुगतान किया जावेगा। प्रार्थीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर 945 के बावत माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश धौलपुर के यहॉ बाद प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

दोनो पक्षो के विद्वान अभिभाषकगणो की बहस सुनने एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि प्रार्थीगण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के तहत अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष आपत्तियॉ प्रस्तुत की। सक्षम अधिकारी ने प्राप्त आपत्तियो पर प्रार्थीगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर दिनांक 30.3.2016 को निर्णय पारित किया है। निर्णयानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है तथा यह निर्देश दिये गये है कि आराजी खसरा नम्बर 875 का स्वामित्व नही होने तथा खसरा नम्बर 876 व 945 में दीगर व्यक्तियों की दुकान निर्माण होने के कारण प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय से स्वामित्व का निर्धारण कराये जाने के उपरान्त ही मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी है। अन्य खसरा नम्बरान् 874, 855, व 946 में आवेदकगण नियमानुसार मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी होगे। प्रार्थीगण द्वारा स्वामित्व निर्धारण हेतु बादमाननीय

(नन्दमल पहाड़िया)
मध्यस्थ अधिकारी
(जिला कलक्टर) धौलपुर

न्यायालय सिविल न्यायाधीश धौलपुर में दायर कर रखा है। यह न्यायालय स्वामित्व निर्धारण के लिए सक्षम नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(एन. एम. पहाडिया)
मध्यस्थ अधिकारी (जिला कलक्टर)
धौलपुर